डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनॉक 23.01.2018
पत्रांक–वी0सी0/1256/18

आदेश

पिछले लगभग एक माह से मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को पुराने प्रकरणों में जो अप्रसांगिक हो चुके हैं अनावश्यक निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं जिससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में असंतोष फैल रहा है । आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत आपके द्वारा इस प्रकार के कियाकलापों से विश्वविद्यालय का वातावरण तथा कार्यशैली प्रभावित हो रही है । कुलसचिव द्वारा अपेक्षित सहयोग के स्थान पर विश्वविद्यालय के सुगम संचालन में बाधा पहुॅचाने का कार्य किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आगामी परीक्षा प्रभावित हो सकती है।

कुलसचिव द्वारा 'वार्ता हुई' अथवा 'वार्ता के क्रम में/वार्तानुसार,' पत्रावलियों पर अंकित कर अधोहस्ताक्षरी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रहीं हैं । जबकि पिछले लगभग एक माह में कुलसचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरी से केवल एक बार वार्ता की गई है ।

कुलसचिव को समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए सूचित किया जाता है, परन्तु वे न तो बैठकों में उपस्थित हो रहे हैं और न ही अनुपस्थित रहने की कोई सूचना प्रेषित करते हैं ।

दिनॉक 10.1.2018 को पालीवाल पार्क कैम्पस स्थित कुलपति सचिवालय में सायं 4.45 बजे सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में कुलसचिव सूचना के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे ।

दिनॉक 16.01.2018 को गत वर्षों से सम्बन्धित परीक्षा डाटा हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी बैठक खन्दारी परिसर में आहूत की गई थी जिसमें बाह्य एजेंसियों को आमंत्रित किया गया था तथा विश्वविद्यालय के सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे किन्तु सूचना के उपरान्त भी कुलसचिव द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया ।

दिनॉक 18.1.2018 को परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक आगामी वार्षिक परीक्षाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय पर खंदारी परिसर में आहूत की गई थी जिसके सम्बन्ध में कुलसचिव कार्यालय को परीक्षा नियंत्रक द्वारा सूचित किया गया था । परन्तु कुलसचिव उपस्थित नहीं हुए ।

.....2

समय समय पर आहूत विश्वविद्यालय की बैठकों में कुलसचिव द्वारा प्रतिभाग अनिवार्य है । विश्वविद्यालय हित में व विश्वविद्यालय के सुगम संचालन में कुलसचिव का सक्रिय योगदान आवश्यक है ।

कुलपति कार्यालय से कुलसचिव को विभिन्न प्रकरणों में आख्या प्रस्तुत करने हेतु समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है किन्तु कुलसचिव द्वारा इन प्रकरणों को गम्भीरता से न लेकर अनावश्यक पत्राचार कर समय एवं विश्वविद्यालय के संसाधनों का दुरूपयोग किया जा रहा है ।

कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या आर/39/2018 दिनॉक 23.01.2018 जिसकी प्रति कुलपति को पृष्ठांकित है के सन्दर्भ में ज्ञात हो कि जिस प्रकरण का पटाक्षेप पूर्व में हो चुका था, उसे कुलसचिव द्वारा अनावश्यक रूप से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है । यदि कुलसचिव की दृष्टि में उक्त प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता थी तो इस सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा प्रकरण को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में भी लाना चाहिए था । इसी प्रकार कोई दण्डात्मक प्रकृति का आदेश निर्गत करने से पूर्व कुलसचिव को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ऐसे आदेश कुलसचिव के एकमात्र क्षेत्राधिकार में हैं अथवा नहीं ।

उपरोक्त परिस्थितियों में विश्वविद्यालय हित में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कुलसचिव को यह निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोई भी आदेश निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित प्रकरणों को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में अथवा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । उक्त निर्देशों के विचलन में निर्गत किये गए आदेश/निर्देश तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनका परीक्षण न कर लिया जाये ।

उपरोक्त के दृष्टिगत कुलसचिव कार्यालय आदेश संख्या आर/39/2018 दिनॉक 23 जनवरी 2018 के क्रियान्वयन पर विधिमान्य न होने के कारण तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है ।

23/1/2018

कुलपति

(डा0 अरविन्द कुमार दीक्षित)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव,कुलाधिपति सचिवालय,राजभवन,लखनऊ ।
2. अधीक्षक कुलसचिव कार्यालय ।
3. वित्त अधिकारी कार्यालय ।
4. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ।
5. समस्त उप कुलसचिव/समस्त कार्यालय अधीक्षक।
6. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष ।
7. अभिलेख खण्ड ।

कुलपति